अध्याय 3: लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं सिफारिशें

छोडे गए राजस्व के विवरण में फिरती, मान्य निर्यात फिरती एवं टीईडी पर कर व्यय सम्मिलित नही था। ब्याज भुगतान के लिए कोई अलग लेखा शीर्षक नहीं था।

3.1 डीओसी एवं डीजीएफटी योजना संबंधी छूटों के लिए एक ही बजट शीर्ष से खर्च करते हैं। डीबीके की प्रतिपूर्ति और टीईडी के प्रतिदाय पर कर व्यय डीओसी के 'मुख्य शीर्ष-3453-विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन-194- निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता (लघु शीर्ष)-03-निर्यात संवर्धन और बाजार विकास संगठन के लिए सहायता-00-33 आर्थिक सहायता' के अन्तर्गत किया जाता है। डीजीएफटी और डीओसी (ईओयू/एसईजेड), द्वारा वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 की अवधि के दौरान बजट आवंटन और व्यय नीचे दिया गया है। ब.अ., सं.अ. और वास्तविक के मामले में लेखापरीक्षा की अवधि में कोई पैर्टन प्रदर्शित नही किया गया है। भिन्नता को मिटाने के लिए डीओसी/डीजीएफटी द्वारा बजट के पूर्व बजट विश्लेषण द्वारा कोई उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया था।

तालिका: 2 मुख्य शीर्ष 3453 के अन्तर्गत बजट आवंटन

₹ करोड़ में

वर्ष		ब.अ.*	सं.अ.*	वास्तविक**	वास्तविक विनियोजन लेखों के अनुसार	विभाग के अनुसार बचतें/ अधिकता
वि.व. 08	ईओयू/एसईजेड	581.10	581.10	575.36	विनियोजन लेख मुख्य शीर्ष 3453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन के अन्तर्गत व्यय केवल समेकित आंकड़ों को दर्शाते हैं।	5.74 (ब)
	डीजीएफटी	112.90	1012.90	1011.75		1.15 (ब)
वि.व. 09	ईओयू/एसईजेड	551.63	551.63	525.76		25.87 (ब)
	डीजीएफटी	742.37	1842.37	1858.34		15.97 (अ)
वि.व. 10	ईओयू/एसईजेड	312.78	312.78	281.52		31.26 (ब)
	डीजीएफटी	1229.94	1229.97	1246.75		16.76 (अ)
वि.वि. 11	ईओयू/एसईजेड	316.51	316.51	310.86		5.65 (ब)
	डीजीएफटी	1211.04	3211.04	1868.64		***1342.40 (ब)

* वि.व. 08 से वि.व. 11 के लिए संघ सरकार के व्यय बजट के अनुसार

* * डीओसी/डीजीएफटी द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

* * * वि.व.11 में ₹1342 करोड़ की बचत योजना के अन्तर्गत अधिसूचित परियोजनाओं की कुल विशिष्ट आपूर्तियों के लाभ को नामंजूर करने के पीआईसी के निर्णय के कारण हुई

3.2 लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 7,679 करोड़ का यह कर व्यय (मान्य निर्यात लाभ-अनुबंध क ।) संघ सरकार के प्राप्ति बजट मे केन्द्रीय कर प्रणाली के अन्तर्गत छोड़े गए राजस्व के विवरणों में सम्मिलित नहीं किया गया था। ब्याज के लिए लेखों का कोई अलग शीर्ष डीओसीके के बजटीय अनुदान के अन्तर्गत या ब्याज भुगतानों के अन्तर्गत अलग शीर्ष के रूप में संचालित नहीं किया गया था।

डीजीटीएफटी की नीति, प्रक्रियाओं एवं योजना के कार्यान्वयन के परिपत्रों को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।

अपूर्णता पत्र के अनुपालन से सम्बन्धित नीति में समय सीमा का अभाव

3.3 एचबीपी के पैराग्राफ 9.10 में प्रावधान है कि आरएज़ को दावेदार से प्राप्त पूर्ण दावा आवेदन के मामले में आगे के संदर्भ के लिए फाईल नं. दर्शाती एक औपचारिक रसीद जारी की जानी चाहिए। उसके बाद आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजों और जांच सूची के संदर्भ में सम्बन्धित सहायक के द्वारा फाईल की विस्तृत जांच की जाती है और तब मामला विदेशी व्यापार विकास अधिकारी (एफटीडीओ) द्वारा संबंधित आरए को प्रस्तुत किया जाता है। एफटीडीओ आवेदन कर्ता को उसके दावे में कमी, यदि कोई है, को सुधारने के लिए एवं प्रक्रिया के लिए पुनः प्रस्तुत करने के लिए एक डीएल जारी करता है।

3.4 आरए, नई दिल्ली एवं अहमदाबाद ने क्रमशः मार्च 2007 और मार्च 2011 में टीईडी की वापसी के चार दावों के प्रति ₹ 3.09 करोड़ की वापसी की। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आरए नई दिल्ली ने अप्रैल 2007 और सितम्बर 2007 में आवेदक को डीएल जारी किए थे। आवेदन कर्ता ने सितम्बर 2009 में डीएल पर प्रतिक्रिया की। इसी प्रकार, आरए, अहमदाबाद ने 20 मार्च 2011 को डीएल जारी किए, आवेदकों ने दो वर्षों से अधिक के बाद डीएल पर प्रतिक्रिया की। आरए ने पुनः प्रस्तुत दावे पर कार्य किया एवं प्रतिदाय का अनुदान किया।

3.5 चूंकि डीजीएफटी ने योजना के अन्तर्गत डीएल के अनुपालन के लिए आवेदकों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नही की थी। आवेदनकर्ता दावे पर लेट कट फीस लगने या इसके कालातीत होने की स्थिति को टालने के लिए समय सीमा के अभाव का अवाँछित लाभ उठा सकता है। डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2013) में बताया कि समय सीमा निर्धारित करने हेतु विचार किया जाएगा।

निर्धारित प्रक्रिया में कमियां

3.6 मान्य निर्यात लाभों के दावे के ऐसे मामले मे टीईडी/ड्राबैक के प्रतिदाय का दावे करने की नीति/पद्धति कोई प्रतिबन्ध निर्धारित नहीं करती जहां वास्तव में शुल्क प्राप्तकर्ता द्वारा नहीं बल्कि आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाता है और प्राप्तकर्ता टीईडी/ड्राबैक के प्रतिदाय के लिए आवेदन करता है।

3.7 आरए, कोच्ची के अन्तर्गत, एक ईपीसीजी लाइसेंसधारक ने ईपीसीजी प्राधिकरण के प्रति माल की खरीद पर भुगतान किए गए ₹ 32.52 लाख के टीईडी (प्राप्तकर्ता-आवेदक के रूप में) प्रतिदाय का दावा किया। आरए ने आवेदन की प्रस्तुति में विलम्ब के लिए लेट कट लगाने के बाद ₹ 30.90 लाख की अनुमति दी। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि दावेदार ने आपूर्तिकर्ता को तीन बीजकों के संबंध में ₹ 4.42 लाख की राशि के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया था।

3.8 डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2013) में बताया कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि बीजक उत्पादशुल्क सहित है या नहीं, असली मुद्दा है कि क्या उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया है या नहीं। यह उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि नीति अस्पष्ट है एवं प्रक्रिया उपलब्ध नही है।

एचबीपी, एफटीपी एवं नीति परिपत्र के प्रावधानों में विसंगति

3.9 एफटीपी 2009-14 का पैराग्राफ 8.4.1 (i) वार्षिक आवश्यकता/डीएफआईए के लिए अग्रिम प्राधिकरण के प्रति माल की आपूर्ति को मान्य आयात के रूप में संस्वीकृत करता है और आपूर्तिकर्ता मान्य निर्यात के प्रति लाभ के रूप में मध्यवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम प्राधिकार/डीएफआईए लेने का हकदार होगा। जबकि एफटीपी का पैराग्राफ 8.4.1 (ii) अनुबंधित करता है कि या अग्रिम प्राधिकार/डीएफआईए के प्रति बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट अथवा एआरओ के प्रति आपूर्ति के मामलें में ब और टीईडी दोनों के लाभ उपलब्ध होगें। डीजीएफटी ने दिनांक 1 अक्टूबर 2006 के नीति परिपत्र में स्पष्ट किया कि अमान्यकरण के प्रति आपूर्ति के मामले में, मध्यवर्ती आपूर्ति और टीईडी के लिए अग्रिम लाइसेंस उपलब्ध है जबकि एआरओ के प्रति आपूर्ति के लिए, केवल ड्राबैक ही उपलब्ध है। इस प्रकार, यह नीति परिपत्र उन लाभों की अनुमति देता है जो एफटीपी (अवैधीकरण प्रति आपूर्ति के लिए) के अनुसार उपलब्ध नहीं थे और उन लाभों को अस्वीकृत करता है जो एफटीपी के अनुसार उपलब्ध थे।

3.10 आरए, अहमदाबाद, ने अग्रिम प्राधिकार/डीएफआईए (अवैधिकरण पत्र) के प्रति माल की आपूर्ति के लिए ₹ 7.59 करोड़ की राशि की मध्यवर्ती आपूर्ति के लिए टीईडी के मान्य निर्यात एवं अग्रिम का लाभ उठाया, जबकि पूर्वोक्त एफटीपी के पैराग्राफ 8.4.1 (i) की शर्तों में, आपूर्तिकर्ता केवल मध्यवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम प्राधिकार/डीएफआईए प्राप्त करने का हकदार है और टीईडी का नहीं। उसी प्रकार, आरए, वड़ोदरा और राजकोट द्वारा स्वीकृत चार मामलों में, आपूर्तिकताओं ने एफटीपी के पैराग्राफ 8.4.1 (ii) की शर्तों के अनुसार अग्रिम प्राधिकार (एआरओ/एलओसी) की आपूर्ति के प्रति ₹ 99.51 लाख के टीईडी मान्य निर्यात लाभों को प्राप्त किया जबकि दिनांक 1 अक्तूबर 2009 के परिपत्र के संदर्भ में, आपूर्तिकर्ता केवल ड्राबैक का हकदार होगा।

3.11 हमारे विचार में, एफटीपी और नीति परिपत्र के प्रावधानों के बीच असंगति है और परिपत्र को संशोधित करना आवश्यक है क्योंकि नीति परिपत्र न तो एफटीपी में मूलतः अपेक्षित लाभों को दे पाता है और न ही एफटीपी में उपलब्ध लाभों को अस्वीकृत कर पाता है। डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2013) में कहा कि दिनांक 1 अक्तूबर 2009 का नीति परिपत्र संशोधित किया गया है।

3.12 दावे के भुगतान के 90 दिनों के अंदर मान्य निर्यात लाभों के लंबित भुगतान पर लगने वाले ब्याज के लिए दावे जमा करने के एफटीपी के प्रावधान को 06 अगस्त 2008 को संशोधित किया गया था, जिससे आवेदन के 30 दिन के बाद भुगतान में विलंब से उत्पन ब्याज का भुगतान, यदि कोई है, मुख्य दावे के साथ इसके लिए आवेदन करने के बिना किया जाना चाहिए। तथापि, एचबीपी के अनुसार, दावे के निपटान के प्रति जारी किए गए चैक के 90 दिनों के अंदर लंबित भुगतान पर ब्याज के दावे के लिए आवेदन किया जा सकता है। एचबीपी के प्रावधान एफटीपी के प्रावधानों के अनुरूप नही है, अतः एफटीपी के अनुसार संशोधित किये जाँए।

3.13 डीजीएफटी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2013) कि पैराग्राफ 8.5 के अनुसार, ब्याज का भुगतान मुख्य दावे के साथ किया जाना चाहिए। दिनांक 01 अक्तूबर 2009 के नीति परिपत्र को संशोधित किया जा रहा है। तथापि, यदि गलती से, आरए ब्याज का भुगतान नहीं करता और यदि वह देय है तब, आवेदक को एएनएफ-8ए में ब्याज के लिए दावा करने का विकल्प दिया गया है। डीजीएफटी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऐसा लगता है कि एफटीपी के वर्तमान प्रावधान के अधिरोहण एचबीपी में बनाया गया प्रावधान बाद में सोचा गया कदम है।

ड्राबैक की ब्रान्ड दर के निर्धारण के संबंध में एफटीपी एवं डीबीके नियमों के प्रावधानों में विसंगति

3.14 एचबीपी का पैराग्राफ 8.3.3 अनुबंध करता है कि मान्य निर्यात आपूर्तियों के प्रति ड्राबैक के ब्रान्ड दर के निर्धारण के लिए निर्धारित दस्तावेजों के साथ एएनएफ 8 में एक आवेदन आरए अथवा डीसी को प्रस्तुत किया जाए। यद्यपि सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर (संशोधन) नियम, 2006 का नियम 7 में प्रावधान है कि डीबीके की ब्रान्ड दर का निर्धारण क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पाद अधिकारी द्वारा, जिसके अन्तर्गत दावेदार की विनिर्माण इकाई आती है, शुल्क भुगतान वाले दस्तावेजों की जाँच के बाद किया जाएगा। दूसरी ओर, दावेदार को यह प्रमाणित करना था कि सेनवेट क्रेडिट की गैर-प्राप्ति के साथ-साथ सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर ड्राबैक नियम, 1995 की सभी शर्तें पूरी की गई हैं। अतः एफटीपी/एचबीपी के प्रावधान सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर (संशोधन) नियम, 2006 के साथ परस्पर विरोधी है। इसके अतिरिक्त, सेवनेट क्रेडिट नियम, 2004 के अन्तर्गत सेवनेट क्रेडिट की सुविधा प्राप्त करने संबंधी घोषणा ना केवल इनपुट घटको के लिए अपितु इनपुट सेवाओं के लिए भी होनी चाहिए, एवं इस प्रकार ब्रान्ड दर के निर्धारण पर प्रभाव डालती है। अतः आरए एवं डीसी को डीबीके के ब्रान्ड दर निर्धारण के सभी पुराने मामलों की समीक्षा एवं अतिरिक्त डीबीके, यदि भुगतान किया गया है, तो वसूली करने की आवश्यकता है।

3.15 लेखापरीक्षा ने पाया कि 12 मामलों में (आरएज़ द्वारा 11 मामलों एवं डीसी-सेज द्वारा एक मामले में) आरएज, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, नई दिल्ली एवं डीसी-वीएसईजेड ने ड्राबैक ब्रान्ड दर के गलत निर्धारण के कारण ₹ 17.36 करोड़ के अधिक डीबीके का भुगतान किया। भुगतान किये गए अधिक डीबीके की वसूली किये जाने की आवश्यकता है। आरए, जयपुर, कोलकाता एवं दिल्ली ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए कार्यवाही आरंभ की है।

सिफारिश 2: डीओसी अस्पष्टता को रोकने के लिए अपनी नीति/प्रक्रिया के समन्वय पर विचार करे।

डीजीएफटी को प्रति सहायता के साथ मध्यावधि उपायों के लिए प्रभावी रूप से माँग प्रक्रिया, निधि उन्मुक्ति, दावो को अन्तिम रूप देने एवं समय-सीमा बनाने की आवश्यकता है।

ड्राबैक/टीईडी के भुगतान मे विलंब के लिए दिया गया ब्याज

3.16 एफटीपी का पैराग्राफ 8.5.1 उन प्रतिपूर्ति/प्रतिदाय के संबंध में जो एक अप्रैल 2007 को या उसके बाद देय है परन्तु जो आरएज द्वारा उसके भुगतान के अन्तिम अनुमोदन के 30 दिनों के अन्दर न चुकाये गये हो, में डीबीके एवं टीईडी के प्रतिदाय के विलंबित भुगतान पर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के भुगतान के लिए प्रावधान करता है। 6 अगस्त, 2008 को या उसके बाद जमा की गई टीईडी एवं डीबीके प्रतिदाय के आवेदन के संबंध में, 30 दिन की अवधि की गिनती पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तिथि से होगी।

3.17 लेखापरीक्षा ने देखा कि मान्य ड्राबैक/टीईडी के प्रतिदाय के 29 प्रतिशत मामलों में (आरएज़ एवं डीसीज कार्यालयों में जाँच किये गए 22,921 दावों में से 6,739 में) मान्य निर्यात लाभों के भुगतान में विलम्ब था। मान्य ड्राबैक/टीईडी के प्रतिदाय के 5,001 दावों मे ₹ 52.71 करोड़ के ब्याज का भुगतान (आरएज़ द्वारा ₹ 51.95 करोड़ और डीसीज द्वारा ₹ 0.76 करोड़) किया गया था। शेष मामलों में या तो पार्टियों द्वारा ब्याज का दावा नहीं किया गया था अथवा विभाग द्वारा भुगतान नही किया गया था, इन 1,738 मामलों में ब्याज देयताएं ₹ 17.48 करोड़ थीं। दावों के निपटान में 2,161 दिनों तक का विलंब देखा गया।

3.18 कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैः

क. आरए, नई दिल्ली ने ड्राबैक एवं टीईडी के प्रतिदय के 1,116 दावों मे ब्याज के लिए ₹26.27 करोड़ का भुगतान किया।

ख. आरए, हैदराबाद में, 2007-08 से 2010-11 के दौरान प्रक्रियाकृत 1440 मामलों में से प्रस्तुत किये गए 81 मामलों मे डीबीके/टीईडी के 298 दावों में ₹ 6.99 करोड़ के ब्याज के लिए दावा नही किया गया था, विलम्बित भुगतान के कारण ₹ 6.43 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया।

ग. आरएज़, मुम्बई, पुणे एवं डीसी-सीईईपीजेड, मुम्बई ने 518 मामलों में ₹ 4.04 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया एवं 81 मामलों में ₹ 0.78 की राशि के ब्याज का दावेदारों द्वारा दावा नही किया गया।

घ. पांच आरएज[14] ने 941 मामलों मे डीबीके एवं टीईडी के विलम्बित भुगतान के लिए ₹ 3.60 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया एवं 200 मामलों मे दावेदारों द्वारा ₹ 0.25 करोड़ के ब्याज का दावा नही किया गया था।

3.19 डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2013) में कहा कि ब्याज देयताओं के भुगतान का मुख्य कारण निधि की कमी है। डीजीएफटी का उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि दावों को अंतिम रूप देने में हमने पर्याप्त विलंब देखे थे। जिसके परिणाम स्वरूप परिहार्य ब्याज का भुगतान किया गया।

---

[14] अहमदाबाद, गांधीधाम, राजकोट, सूरत और वडोदरा।

3.20 डीओसी ने अपने उत्तर (फरवरी 2013) में निष्कर्ष को स्वीकार किया और कहा कि एचबीपी के पैराग्राफ 9.10 और 9.11 की शर्तों में निर्धारित प्रक्रिया को फिर से देखा जाएगा और मजबूत किया जाएगा।

एफटीपी में ड्राबैक/टीईडी के गलत भुगतान पर ब्याज की उगाही का कोई प्रावधान नही है।

3.21 मान्य निर्यात योजना के अंतर्गत टीईडी और ड्राबैक के प्रतिदाय में देरी पर छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देय होगा, तथापि योजना में टीईडी/ड्राबैक के भुगतान के कारण गलत दी गई राशि की वापसी पर ब्याज की उगाही का कोई प्रावधान नहीं है।

3.22 आरए, अहमदाबाद, हैदराबाद और डीसी-एसईईपीज़ेड, मुबंई के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 18 मामलों में आरएज़ ने अधिक/गलत भुगतान किया, तथापि, अधिक/गलत भुगतान की वसूली के लिए मांग पत्र प्रस्तुत करते समय ऐसे प्रावधानों के अभाव के कारण आरएज़ देय राशि पर कोई ब्याज नही लगा सके।

3.23 *डीजीएफटी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2013) कि यदि आवेदकों द्वारा इसका गलत दावा किया गया है तो वे डीबीके और टीईडी के अधिक भुगतान पर ब्याज लेने के प्रस्ताव की जांच करेंगे, जबकि डीओसी ने अपने जवाब मे कहा (फरवरी 2013) कि वे गलत भुगतान पर ब्याज लेने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे।*

सिफारिश 3: डीओसी ड्राबैक/टीईडी के गलत भुगतान पर ब्याज लगाने के उपयुक्त यंत्र पर विचार करे।

मौजूदा ईडीआई प्रणाली में दावों को सुलझाने के लिए प्रावधान नहीं है। यह आईसीईएस/एसीईएस प्रणाली से संबंधित नही है।

आनलाईन ईडीआई प्रणाली का अभाव

3.24 ड्राबैक और टीईडी की वापसी इस शर्त के अध्यधीन है कि आवेदक फर्म, लाभों का दावा करते समय, दावापरित्याग प्रमाण-पत्र इस आशय से प्रस्तुत करे कि उन्होंने डीबीके/टीईडी की वापसी का दावा नहीं किया है और शामिल दावे के अतिरिक्त भविष्य में कोई दावा नहीं करेंगे। आवेदक यह भी घोषित करे कि वे डीजीएफटी/डीसी-एसईज़ेड के किसी भी कार्यालय से उनके प्रति लाभों का दावा कभी नहीं करेगा।

3.25 लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि आरएज़ केवल आवेदन के साथ जमा किए गए दावापरित्याग पत्र पर निर्भर करते है। उनके पास प्रमाणपत्र के उचितता की जांच करने के लिए कोई केन्द्रीयकृत डाटा प्रणाली/ऑनलाईन ईडीआई प्रणाली नही है। ऐसी प्रणाली के अभाव में दोहरे भुगतान/कपटपूर्ण भुगतान की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता। अधिक पारदर्शिता के लिए संव्यवहार समय और लागत में कमी तथा

कपटपूर्ण दावों के मामलों को कम करने के लिए ईडीआई प्रणाली की रूपरेखा को बढावा दिए जाने की आवश्यकता है।

3.26 *डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2013) में कहा कि मान्य निर्यात लाभ के दावों को ऑन लाईन दर्ज करना संभव नहीं होगा, क्योंकि, यह शुल्क की प्रतिपूर्ति है और अग्रिम प्राधिकार की तरह किसी प्रकार के प्राधिकार का मामला नहीं है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क विभाग द्वारा दावों की सत्यता की जाँच के संबंध में और दावे की सत्यता और पात्रता के बारे में निर्णय लेने के लिए बहुत से दस्तावेजों को निर्धारित किया है, केन्द्रीय उत्पाद द्वारा साक्ष्यांकित बीजक/बीजकों के विवरण को मंगाया जाता है और मार्च 2011 से, सेनवेट के लाभ को न उठाने की घोषणा की प्रति आबकारी प्राधिकारी को भेजी जानी आवश्यक है।*

3.27 डीजीएफटी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीजीएफटी "आईसगेट " के माध्यम से डीजीएफटी सीमाशुल्क के साथ पहले से ही जुड़ा है और जांच के लिए साफ्टवेयर को अपग्रेड करने आवश्यकता है। डीजीएफटी दावेदारों द्वारा की गई घोषणाओं की सत्यता की जांच करने के लिए उत्पाद विभाग के साथ समान सम्पर्क बना सकता है।

3.28 *डीओसी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2013) कि इकाईयों द्वारा दावों को सरल व कारगार बनाने की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत होना चाहिए। वे शुल्कों की प्रतिपूर्ति और किए गए दावों की सत्यता की जाँच के लिए मौजूदा प्रणाली को अधिक मजबूत बनाने के मामले की जाँच करेंगे।*

सिफारिश 4: डीजीएफटी की मौजूदा ईडीआई प्रणाली को दावों पर कार्य करते समय कपट के मामलो को कम करने के लिए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग के ईडीआई प्रणाली से जोड़े जाने की आवश्यकता है।

स्व-घोषणा प्रणाली में, आरएज़ और डीसीज़ दावेदारों द्वारा की गई घोषणाओं की सत्यता की दुतरफी-जांच नही कर रहे है।

सेनवेट क्रेडिट के उपयोग से संबंधित घोषणा की जाँच की प्रणाली का अभाव

3.29 एचबीपी का पैराग्राफ 8.3.1 (i) अनुबंध करता है कि माल प्राप्तकर्ता डीबीके/टीईडी के प्रतिदाय का दावा इस शर्त के अधीन कर सकता है कि आपूर्तिकर्ता द्वारा सेनवेट सुविधा का उपयोग नहीं किया गया है और आपूर्तिकर्ता द्वारा दावापरित्याग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है। फरवरी 2011 के बाद से, आपूर्तिकर्ता को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क डिवीजन के क्षेत्राधिकार सहायक/उप-आयुक्त के पूरे पते के साथ, घोषणा प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत करनी चाहिए। डीसी/आरए घोषणा की दूसरी प्रति को यथावत् मोहर लगाकर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के संबंधित सहायक/उप-आयुक्त को अग्रेषित करेगा।

3.30 लेखापरीक्षा में देखा गया कि डीसी-एसईज़ेड और आरएज के कार्यालय में दावेदारों द्वारा प्रस्तुत घोषणाओं के सत्यापन की कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है। मुम्बई और

डीसी-एसईईपीज़ेड को छोड़कर सभी आरएज़ ने स्वीकार किया कि घोषणाओ की जांच करने के लिए कोई प्रणाली नही है। आरए, मुंबई और डीसी-एसईईपीज़ेड मुम्बई में 2007-08 से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के पास टीईडी दावों के संबंध में प्रति-सत्यापन की प्रणाली मौजूद थी। आरए/डीसी ने पश्च-पुष्टि के लिए पांच प्रतिशत मामलों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को प्रेषित किया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि आरए जयपुर ने सैनवेट क्रेडिट की अनुपलब्धता से संबंधित घोषणा के बिना पूंजीगत माल की आपूर्ति पर टीईडी प्रतिदाय दिया जैसाकि नीचे दर्शाया गया है।

3.31 आरए, जयपुर ने 2007-08 से 2010-11 की अवधि के दौरान तीन[15] ईपीसीजी लाइसेंसधारियों को 161 मामलों में ₹ 18.94 करोड़ की टीईडी वापस दी। लाइसेंस धारकों ने अग्रिम एआरओ प्राप्त होने के बाद स्वदेशी निर्माताओं (आपूर्तिकर्ताओं) से मशीनें और अतिरिक्त पुर्जे खरीदे। ऐसे मामलों में, निर्माता पहले सेनवेट क्रेडिट और या वैयक्तिक बही लेखा (पीएलए) के माध्यम से सरकार को उत्पाद शुल्क देते हैं और ईपीसीजी लाइसेंस धारकों से उसका दावा करते हैं। उसके बाद, ईपीसीजी लाइंसेंस धारकों को आरए से टीईडी के रूप में इस शुल्क का प्रतिदाय हुआ। इसी प्रकार, आरए कानपुर के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि एक आपूर्तिकर्ता ने विभिन्न फर्मों को पूंजीगत माल (पांच मामलें) की आपूर्ति की थी और सैनवेट क्रेडिट की अनुपलब्धता के प्रमाणपत्र के बिना ₹5.18 करोड़ के टीईडी के प्रतिदाय का दावा किया था।

3.32 उपरोक्त मामले में, दावेदार ने सैनवेट क्रेडिट की अनुपलब्धता के दावापरित्याग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि आपूर्तिकर्ता ने अप्रयुक्त सैनवेट क्रेडिट वाला शुल्क दिया। *डीजीएफटी ने अपने उत्तर में कहा (नवंबर 2012) कि उसने 8 मार्च 2011 को एक पीएन जारी किया है जिसमें एएनएफ 8 के साथ दी जाने वाली घोषणा को संशोधित किया है। इस घोषणा की प्रति को संबंधित सीई विभाग को आरए द्वारा अग्रेषित करवाना आवश्यक है। डीजीएफटी बाद में पुष्टि करने के लिए सीमाशुल्क और आबकारी विभाग को भी कुछ प्रतिशत मामले भेजने के लिए सहमत हुआ।*

सैनवेट की प्राप्ति

3.33 एचबीपी का पैराग्राफ 8.3.1(i) अनुबंध करता है कि प्राप्तकर्ता सेनवैट क्रेडिट न लेने से संबंधित एएनएफ 8 अनुलग्नक II में दिये गये प्रारूप में एक स्व घोषणा के साथ आपूर्तिकर्ता से एक उपयुक्त दावापरित्याग पत्र प्रस्तुत करने पर मान्य निर्यातों के लाभ का भी दावा कर सकते हैं। इसके अलावा, एफटीपी के पैरा 8.5 के अनुसार माल की आपूर्ति एफटीपी के पैरा 8.3 (सी) के संबंध में टीईडी के प्रतिदाय के योग्य होगा बशर्ते कि माल प्राप्तकर्ता ऐसे माल पर सेनवेट क्रेडिट/छूट नहीं लेता हो।

3.34 अहमदाबाद, कटक, हैदराबाद, गाँधीधाम, जयपुर, कोलकाता, कानपुर, मुंबई, पुणे, राजकोट, सूरत के आरएज़ तथा कोचीन, चेन्नई और विशाखापत्तनम के एसईजेडज में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के 110 मामलों में आपूर्तिकर्ता के घोषणा प्रमाणपत्र

[15] मै. संगम इण्डिया प्रा. लि., मै. गिन्नी इंटरनैशनल और मै. श्री राजस्थान सिंटैक्स लि.

के बिना अथवा एएनएफ 8 के अनुलग्नक II में स्व घोषणा-पत्र के बिना ₹ 57.47 करोड़ (आरएज़ द्वारा ₹ 56.10 करोड़ तथा डीसी-एसईजेडज ₹ 1.37 करोड़) की राशि की डीबीके/टीईडी का प्रतिदाय किए जाने का पता चला। *डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2013) में बताया कि आरएज़ ने घोषणा पत्र/सेनवैट घोषणा-पत्रों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू की है। गैर अनुपालन के मामले में वसूली की जाएगी।*

3.35 हमारा मानना है कि दावा करने, मंजूरी और मान्य निर्यात लाभों के भुगतान की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु भागीदारों को ऑन-लाइन जोड़ना आवश्यक है। डीजीएफटी को स्वयं को सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद विभाग की ईडीआई से जोड़ना चाहिए।

टीईडी का भुगतान अनिवार्य दस्तावेजीकरण के बिना किया गया था।

बिना उचित स्थापना प्रमाण-पत्र/आरसीएमसी के टीईडी की मंजूरी

3.36 एफटीपी का पैराग्राफ 2.44 अनुबंध करता है कि एफटीपी के अन्तर्गत कोई लाभ या छूट प्राप्त करने के लिए दावेदार को संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद से वैध पंजीकरण या सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार, एचबीपी के पैराग्राफ 8.2.3 के अनुसार में एफटीपी के पैराग्राफ 8.2 (सी) के अन्तर्गत पूंजीगत माल की आपूर्ति के लिए, आपूर्तिकर्ता ईपीसीजी प्राधिकार धारक से पूँजीगत माल की आपूर्ति/प्राप्ति के साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त एचबीपी के पैराग्राफ 5.3.1 के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकरण से पंजीकृत ईपीसीजी धारक, उत्पाद प्राधिकरण का प्राप्ति प्रमाण-पत्र दिया जाय और जहाँ लाइसेंसधारक उत्पाद प्राधिकरण से पंजीकृत नहीं है, स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर से पूँजीगत माल की स्थापना सुनिश्चित करने वाला स्थापना प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

3.37 चंडीगढ़, कोयम्बतूर, कानपुर, कोलकाता, सूरत के आरएज और डीसी-फाल्टा द्वारा टीईडी के प्रतिदाय की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि पूँजीगत तथा अन्य माल के लिए 42 आवेदकों (आरएज़ में 37 तथा सेज़ में 5 आवेदक) को ₹ 19.89 करोड़ की टीईडी का प्रतिदाय हुआ। जबकि 18 मामलों में आवेदकों ने पूँजीगत माल के लिए कोई भी स्थापना प्रमाण-पत्र जमा नहीं किया था और बाकी 19 मामलों में आरसीएमसी उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, इन मामलों में आरसीएमसी टीईडी की मंजूरी सही नहीं थी। डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2013) में बताया कि आरए कोलकाता ने वसूली प्रक्रिया शुरू कर दी है। आरएज़, चंडीगढ़ तथा कानपुर को अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गए हैं।

महानिदेशक हाइड्रोकार्बन (डीजीएचसी) से प्रमाण-पत्र के बिना टीईडी का प्रतिदाय

3.38 एफटीपी के पैरा 8.2 (एफ) के अनुसार, किसी भी परियोजना के लिए माल की आपूर्ति के संबंध में जिसमें एमओएफ, एक अधिसूचना द्वारा, ऐसे माल का आयात उत्पाद शुल्क शून्य करती है, को मान्य निर्यात माना जाएगा बशर्ते कि माल भारत में ही बनाया गया हो। दिनांक 1 मार्च 2002 की सीमाशुल्क अधिसूचना के क्रमांक 214 से 217 के संबंध में निर्दिष्ट नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के तहत विशेष अनुबंध के

अंतर्गत किए गए पेट्रोलियम संचालन के संदर्भ में आवश्यक विनिर्दिष्ट माल पर छूट दी जाती है बशर्ते कि डीजीएचसी, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) के एक सक्षम प्राधिकृत अधिकारी से यह बताते हुए एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आयातित माल पेट्रोलियम संचालन या कोलबेड मीथेन संचालन के लिए आवश्यक है, जैसा भी मामला हो और यह नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति अथवा कोलबेड मीथेन नीति के तहत हस्ताक्षरित अनुबंध के अंतर्गत आयात की गई है।

3.39 आरए, मुंबई, कटक और लुधियाना ने आईओसीएल[16]/बीपीसीएल[17] एचएसडी की खरीद के लिए 26 मामलों में तीन आवेदकों को ₹ 46.79 करोड़ टीईडी का प्रतिदाय किया। दावों की समीक्षा से पता चला कि जैसा कि दिनांक 1 मार्च 2002 में अधिसूचना की शर्तों मे निर्धारित किया गया था खरीदी गई वस्तु अर्थात एचएसडी की पैट्रोलियम परिचालनों हेतु आवश्यक थी, को डीजीएससी के प्राधिकृत अधिकारी के प्रमाण-पत्र से दावे समर्थित नहीं थे। डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2013) में कहा कि आरए, मुंबई ने कंपनी से आवश्यक प्रमाण-पत्रों की माँग की है।

परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के प्रमाण-पत्र में आपूर्तियों पर डीबीके/टीईडी के प्रतिदाय को शामिल न किया जाना

3.40 परमाणु शक्ति परियोजनाओं को माल के आपूर्तिकर्ता डीईए मे भारत सरकार के अधिकारी, संयुक्त सचिव रैंक के समकक्ष अधिकारी द्वारा प्रमाणित 440 मेगावाट या अधिक की क्षमता वाली परमाणु शक्ति परियोजना की स्थापना के लिए माल की आपूर्ति पर मान्य आयात लाभ का हकदार है।

3.41 आरए, मुम्बई ने कैगा और कलपक्कम परमाणु शक्ति परियोजना को संबलन स्टील, ढ़ांचागत स्टील, सीमेंट आदि की आपूर्ति के प्रति फर्म को ₹15.55 करोड़ के डीबीके के तीन दावों को संस्वीकृत किया। विभिन्न विक्रेताओं ने इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए फर्म को इस माल की आपूर्ति की थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि आपूर्ति किए गए माल को डीएई के संयुक्त सचिव द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट नही किया गया है। इसके अतिरिक्त, आपूर्तिकर्ता ने विक्रेता से सैनवेट की अनुपलब्धता के दावापरित्याग प्रमाणपत्र को प्रस्तुत नही किया था। क्योंकि आपूर्ति किया गया माल सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं था, ₹15.55 करोड़ के डीबीके की संस्वीकृति अनियमित थी और इसकी वसूली होनी आवश्यक थी। *अपने उत्तर (फरवरी 2013) मे डीजीएफटी ने कहा कि आरए, मुम्बई ने सभी मामलों मे एससीएन जारी कर दिए हैं। फर्म ने उच्च न्यायालय मे एक रिट याचिका दर्ज की है।*

लेखापरीक्षा द्वारा संचलनात्मक गलतियों के दूसरे मामले जैसे कि अनुपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा दावों की संस्वीकृति; अयोग्य आपूर्तियों पर लाभ देना; मान्य निर्यात आपूर्तियों के उद्ग्रहण के प्रमाण का अभाव आदि देखा गया।

---

[16] भारतीय तेल निगम लि.

[17] भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि.

अनुपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मान्य निर्यात लाभ की मंजूरी

3.42 जैसाकि एफटीपी के 8.2 (बी) में निर्धारित हैं इओयूज को आपूर्ति के संदर्भ में मान्य निर्यात लाभ के लिए आवेदन डीसी अथवा संबंधित आरए को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, नीति परिपत्र दिनांक 21 अक्तूबर 2003 में प्रावधान है कि एफटीपी के पैरा 8.2 (बी) के तहत ईओयूज को की गई आपूर्तियों के संबंध में डीबीके का दावा करने के लिए आवेदन की एक प्रति संबंधित आरए को देनी होगी जो निर्धारित ब्रांड दर के आधार पर भुगतान की व्यवस्था करेगा। एचबीपी के पैरा 8.3.1 (i) में प्रावधान है कि एफटीपी के पैरा 8.3 (बी) एवं (सी) के तहत लाभ का दावा करने हेतु निर्धारित दस्तावेजों के साथ एक आवेदन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा संबंधित आरए को भेजना चाहिए।

3.43 लेखापरीक्षा ने सक्षम प्राधिकारी के अलावा अन्य प्राधिकारी द्वारा डीबीके की मंजूरी के मामले देखे। कुछ मामले नीचे दर्शाए गए हैं:

क. डीसी, एमईपीजेड, चेन्नई ने 21 डीटीए आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े 108 मामलों के संबंध में ₹ 13.60 करोड़ के डीबीके की मंजूरी दी, जबकि इन मामलों में उपयुक्त स्वीकृत प्राधिकरण आरए चेन्नई और आरए बैंगलूरू थे।

ख. आरए कोलकाता ने नौ मामलों में पैरा 8.2 (सी) के तहत ईपीसीजी प्राधिकार धारकों को पूँजीगत माल की आपूर्ति के लिए ₹2.49 करोड़ के टीईडी का प्रतिदाय किया, हालांकि संबंधित आरए कटक, पटना, नई दिल्ली या मुंबई थे।

ग. डीसी-सेज, काण्डला ने ईओयूज़ को माल की आपूर्ति के लिए 23 डीटीए युनिटों को ₹ 61.94 लाख का मान्य निर्यात लाभ संस्वीकृत किया। इन मामलों में उपयुक्त दावा संस्वीकृत करने वाले प्राधिकारी संबंधित आरएज थे। एक अन्य उदाहरण में आरए, राजकोट ने सेज़ यूनिटों को माल की आपूर्ति के लिए डीटीए यूनिट को ₹ 1.03 लाख का डीबीके दिया। चूंकि, सेज को माल की आपूर्ति प्रत्यक्ष निर्यात है और मान्य निर्यात नही है, अतः आरए द्वारा डीबीके प्रदान करना अनियमित था और डीटीए यूनिटों से वसूली योग्य था।

घ. कोचीन-सेज में, संबंधित आरए के बजाए डीसी, सेज़ द्वारा ईओज़ को की गई आपूर्ति के संबंध में डीटीए आपूर्तिकर्ताओं को ₹ 31.34 लाख के डीबीके की मंजूरी दी गई।

ड. डीसी-सेज़, फाल्टा ने चार मामलों में ईओयूज़ को तथा एक मामले में डीटीए आपूतिकर्त्ता को टीईडी प्रतिदाय के रूप में ₹ 4.94 करोड़ राशि का भुगतान किया, जबकि दावा अनुप्रयुक्त सेनवैट क्रेडिट के प्रतिदाय

के लिए था, जिसे केवल क्षेत्राधिकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण द्वारा ही मंजूरी दी जा सकती थी।

च. डीसी एसईईपीजेड, मुंबई में छः मामलों में संबंधित आरए के बजाय डीसी द्वारा ईओयूज़ को की गई आपूर्ति के संबंध में ₹ 0.83 करोड़ की फिरती की मंजूरी दी।

3.44 लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त स्वीकृति प्राधिकरण के साथ दावों की जांच, दोहरे दावों के बचने के लिए सत्यता की जांच आदि के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। ऑनलाईन ईडीआई मॉनीटरिंग व्यवस्था के अभाव में/या होने पर डीटीए आपूर्तिकर्ता द्वारा दोहरे दावों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

3.45 एफटीपी के पैरा 8.3 (सी) के अनुसार, मान्य निर्यात टीईडी से छूट के लिए योग्य होना चाहिए जहाँ आपूर्तियाँ आईसीबी के प्रति की जाती हैं। तद्नुसार, एचबीपी के पैरा 8.3.2 में प्रावधान है कि उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट का दावा करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहिए। इस प्रकार, आईसीबी के द्वारा दिये गए ठेकों के प्रति आपूर्तियों के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान में छूट होती है।

3.46 आरएज़ चेन्नई, कटक, जयपुर और कोलकाता में आईसीबी के माध्यम से दिए गए ठेकों के प्रति परियोजनाओं हेतु आपूर्ति के लिए 59 मामलों में कुल ₹ 88.80 करोड़ के टीईडी के प्रतिदाय की मंजूरी दी गई। दावेदार को टीईडी प्रतिदाय के बजाय उपयुक्त बताए गए पैराग्राफ के अनुसार छूट प्राप्त होनी चाहिए। इस प्रकार प्रतिदाय अनियमित तथा वसूली योग्य था। डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2013) में बताया कि आरएज़, जयपुर और कोलकाता ने वसूली प्रक्रिया शुरू कर दी और आरए कटक को वसूल प्रक्रिया की शुरूआत के लिए कहा गया है।

आयातित माल के लिए मान्य निर्यातडीबीके

3.47 दिनांक 28 दिसम्बर 2011 के डीजीएफटी के नीति परिपत्र में स्पष्ट किया कि किसी मामले में यदि पूँजीगत माल ठेकेदार/उपठेकेदार द्वारा आयातित हो और ऐसे ही परियोजना प्राधिकरणों को आपूर्त किये जाते है तो ऐसे आयातों में किए गए सीमा शुल्क भुगतान पर कोडीबीके के रूप में प्रतिदाय नहीं किया जा सकता।

3.48 जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद के आरएज़ और सेज़, कांडला के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि परियोजना प्राधिकरणों को आयातित माल अथवा परियोजना प्राधिकरणों द्वारा आयातित माल की आपूर्ति पर 56 मामलों में ₹ 1,046.11 करोड़ राशि (आरएज़ द्वारा 53 मामलों में ₹ 1,045.36 करोड़ तथा डीसी-सेज द्वारा तीन मामलों में ₹ 0.75 करोड़) की फिरती/टीईडी का भुगतान किया गया। आरए नई दिल्ली ने 42 दावेदारों को मई 2011 से अप्रैल 2012 के दौरान ₹ 7.97 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 975.48 करोड़ की फिरती का वसूली पत्र जारी किया। हालांकि अभी तक किसी भी वसूली की सूचना नहीं दी गई थी। डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2013) में कहा

कि आरएज़ ने वसूली प्रक्रिया शुरू कर दी है जबकि कई कंपनियों ने पीआईसी स्पष्टीकरण के साथ-साथ ऐसे ज्ञापनों के विरूद्ध उच्च-न्यायालय में अपील की है।

मान्य निर्यात आपूर्ति की वसूली न करना

3.49 एफटीपी के पैरा 8.2 (ए), (बी) तथा (सी) के तहत की गई आपूर्तियों के सबूत के तौर पर मान्य निर्यात फिरती का दावा करने वाले आवेदक को एचबीपी के परिशिष्ट 22 बी में दिये गये फार्म में बैंक से वसूली प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। तथा एफटीपी के उप-पैरा (डी), (ई), (एफ), (जी), एच) और (जे) के तहत की गई आपूर्तियों के लिए एचबीपी के परिशिष्ट 22 सी के अनुसार वसूली प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, पैरा 8.3.1 (iv) के अनुसार, मान्य निर्यात फिरती की मंजूरी, आपूर्तियों पर प्राप्त भुगतान तक सीमित होगी। टीईडी के प्रतिदाय के मामले में, किसी भी प्रतिदाय को तब तक मंजूरी नहीं दी जाय जब तक कुल राशि के 90 प्रतिशत की वसूली न हो जाए।

3.50 अहमदाबाद, बैंगलुरू, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मुंबई, नई दिल्ली, पुणे, सूरत, विशाखापटनम के आरएज़ तथा मुंबई और नोएडा के डीजी-सेज के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि फिरती/टीईडी के 65 मामलों में ₹ 9.63 करोड़ (आरएज़ द्वारा ₹ 9.27 करोड़ तथा डीसी-सेज द्वारा ₹ 0.36 करोड़) की राशि का भुगतान बिना वसूली प्रमाण-पत्र/भुगतान प्रमाण-पत्र या ऐसे मामले में जहाँ की गई आपूर्ति पर 90 प्रतिशत भुगतान की वसूली नहीं हुई थी, कर दिया गया। डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2013) में कहा कि आरएज़ जयपुर और कानपुर ने वसूली शुरू कर दी है। आरए, अहमदाबाद ने वसूली की जानकारी दी। आरए, सूरत ने अब वसूली प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है और बाकी आरएज़ ने वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी है।

ड्राबैक का गलत भुगतान

3.51 ड्राबैक मंजूर करने का मूलभूत उद्देश्य निर्माणकर्ता द्वारा उनके निर्यात उत्पादों में प्रयुक्त माल पर लगने वाले आयात/उत्पाद शुल्क खत्म करना है। एचबीपी के पैरा 8.3.6 के अनुसार, "सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क फिरती नियम, 1995 " मान्य निर्यातों के अनुरूप परिवर्तनों के साथ लागू होगें और उपरोक्त अधिनियम के नियम 3(ii) के अनुसार, कोई भी फिरती स्वीकृत नहीं होगी यदि उक्त माल निर्यातित सामान या उत्पाद शुल्क योग्य सामान, जिसके संबंध में शुल्क अदा नहीं किया गया है; का उपयोग करके उत्पादित अथवा निर्मित है।

3.52 अहमदाबाद, राजकोट, सूरत के आरएज़, और सेज कांडला में, 18 मामलों में (आरएज़ में दस मामले और डीसी-सेज में आठ मामले) ₹ 1.63 करोड़ के ड्राबैक का भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आपूर्त माल का उत्पादन आयातित सामान या उत्पाद शुल्क योग्य सामान जिसके संबंध में शुल्क अदा नहीं किया गया है, का प्रयोग करके हुआ। डीसी-केएएसईजैड ने आपत्ति को स्वीकार किया और कहा (जून 2012) कि इकाई से वसूली की जाएगी तथा आरए, अहमदाबाद ने सूचित किया (जुलाई 2012) कि पार्टी को आबकारी अधिकारी से सामान की आपूर्ति/प्राप्ति के प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है और आरए, राजकोट ने कहा (सितम्बर 2012)

कि लेखापरीक्षा द्वारा बताए गये अतिरिक्त राशि के प्रतिदाय की पार्टी से मांग की गई थी।

आवेदनों के देरी से प्रस्तुतिकरण पर लेट-कट शुल्क का लगाया जाना

3.53 एचबीपी के पैराग्राफ 9.3 में परिकल्पित है कि जहां पर भी ऐसे दावे के लिए आवेदन के प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद किसी आवेदन की प्राप्ति होती है, वहां निर्धारित दर पर एक लेट कट लगाने के आवेदन के बाद स्वीकार किया जाएगा। डीजीएफटी ने 30 अगस्त 2007 को यह स्पष्ट किया कि सभी वर्जित, लंबित और अस्वीकृत आवेदन जो जमा करने की निर्धारित तिथि के समाप्त होने से छः महीनों के बाद दाखिल किये थे, परंतु अब वे आवेदन के जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति से 12 महीनों के अंतर्गत है, पर पांच *प्रतिशत* कट के साथ कार्यवाही की जानी चाहिए।

3.54 अहमदाबाद, बैंगलूरू, कोयम्बटुर, गांधीधाम, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, मुम्बई, नई दिल्ली, पुणे, सूरत, वड़ोदरा, वाराणसी और विशाखापटनम के आरएज़, और मुम्बई, चेन्नई, कांडला और नोयडा के डीसी-सेज अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 134 मामलों (सेज में 19 मामले और आरएज़ में 115 मामले)में डीबीके/टीइडी पर लेटकट शुल्क की राशि ₹ 5.35 करोड़ की राशि की उगाही नहीं की गई थी। डीजीएफटी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2013) कि आरएज़, सूरत और अहमदाबाद द्वारा लेटकट की राशि वसूली गई है। जयपुर, कोलकाता, पुणे, विशाखापटनम, बैंगलुरू, कोयम्बटुर, हैदराबाद, मुम्बई और नई दिल्ली के आरएज़ द्वारा वसूली प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है।

समय बाधित दावों को अनुमति

3.55 चेन्नई, मुम्बई, नई दिल्ली, पुणे के आरएज़, और डीसी-सेज, फाल्टा के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि ₹ 3.22 करोड़ की टीईडी राशि का प्रतिदाय समय बाधित दावों के प्रति नौ मामलों (आरएज़ में छः मामलें और सेज में तीन मामलों) में किया गया था। ये दावे, दावों की प्रविष्टियों के लिए स्वीकृत समयावधि के बाद में दाखिल किये गये थे। डीजीएफटी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2013) कि आरएज़, पुणे और दिल्ली ने वसूली की कार्रवाईयां शुरू कर दी हैं।

गैर-मैगा पावर परियोजनाओं से माल की आपूर्तियां

3.56 15 मार्च 2011 को हुई अपनी बैठक में पीआईसी ने स्पष्ट किया था कि एफटीपी का पैराग्राफ 8.4.4 (iv) यह परिकल्पित करता है कि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 8.3 (सी) के अंतर्गत टीईडी के प्रतिदाय का लाभ गैर-मैगा पावर परियोजनाओं को आपूर्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। दिनांक 27 अप्रैल 2011, के पत्र द्वारा डीजीएफटी ने सभी आरएज़ को ऐसे मामलों में वसूली करने की सलाह दी। पीआईसी ने पुनः दोहराया (9 सितम्बर 2011) कि ऐसे सभी मामलों में वसूली की जाएगी। डीओआर ने भी राय दी कि डीजीएफटी को वसूली प्रक्रिया आरंभ करनी होगी।

3.57 उपर्युक्त स्पष्टीकरण के आधार पर विभाग द्वारा टीईडी के प्रतिदाय/डीबीके के दावों की संवीक्षा की गई है और विभिन्न फर्मो से वसूली के लिए मांग पत्र जारी किये जा रहे हैं। आरएज़, बैंगलुरू, हैदराबाद, कानपुर, मुम्बई, नई दिल्ली और पुणे में ऐसे मामलों की जांच से पता चला कि प्रादेशिक अधिकारियों ने लिखित तथा व्यवहारिक रूप में दिनांक 27 अप्रैल 2011 को जारी डीजीएफटी के निर्देशों का पालन नहीं किया। कुछ उदाहरण नीचे दर्शाये गये हैंः

3.58 आरए, नई दिल्ली में समीक्षा कार्य मई 2012 तक पूरा नहीं किया गया तब तक आरए ने विभिन्न फर्मों को ₹ 1,361.54 करोड़ की राशि के 269 मांग पत्र जारी किये। जारी मांग पत्रों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 12 मामलों में आरए ने ₹ 17.77 करोड़ की राशि की कम मांग की तथा एक मामले में, ₹ 7.63 करोड़ की अतिरिक्त मांग जारी की। अभी तक किसी भी वसूली की जानकारी नहीं मिली है।

3.59 आरएज़, बैंगलुरू, जयपुर, हैदराबाद, पुणे और कानपुर में, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 95 मामलों में दावेदारों को ₹ 118.25 करोड़ की राशि के डीबीके गैर मैगा पावर परियोजनाओं को माल की आपूर्ति के लिए अदा किये गये। जबकि, केवल कानपुर में ₹ 0.37 करोड़ की राशि वाले एक मामले को छोड़कर अभी तक वसूली की कोई सूचना नहीं मिली।

3.60 15 मार्च 2011 को पीआईसी ने भी स्पष्ट किया कि ईंधन, स्टील और सीमेंट की आपूर्ति, विदेश व्यापारनीति के पैराग्राफ 8.2 (डी) के अंतर्गत दी गई परियोजनाओं की को छोड़कर, मान्य निर्यात लाभों के लिए योग्य नहीं होगी। ऐसे मामलों में डीजीएफटी ने दिनांक 27 अप्रैल 2011 के पत्र द्वारा सभी आरएज को तत्काल वसूली को लागू करने के निर्देश दिए। दिनांक 09 सितम्बर 2011 को पीआईसी ने ये निर्देश फिर से दोहराए।

3.61 आरए, कोलकाता द्वारा 16 मामलों में, पावर परियोजना को सीमेंट और स्टील की आपूर्ति के लिए ₹ 40.66 करोड़ की टीईडी राशि जिसमें ₹ 0.44 करोड़ ब्याज शामिल था, का प्रतिदाय किया गया। आरए ने वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

3.62 आरए, अहमदाबाद ने एफटीपी के पैराग्राफ 8.2 (डी) के अंतर्गत तीन मामलों में, परियोजनाओं को ईंधन की आपूर्ति के लिए ठेकेदार को डीबीके के ब्रांड दर की स्वीकृति दी। हांलाकि, दिनांक 27 अप्रैल 2011 के डीजीएफटी के निर्देशों के अनुसार दी गई ₹ 2.60 करोड़ के अतिरिक्त डीबीके के प्रतिदाय की मांग करते हुए पार्टी को कारण बताओ ज्ञापन (अगस्त 2011) जारी किया गया था। फिर भी, एक वर्ष समाप्त होने के बाद भी अभी तक वसूली नहीं की गई है।

3.63 आरए, हैदराबाद ने गैर-मैगा पावर परियोजनाओं को आपूर्ति के लिए, एक आपूर्तिकर्ता को सीमेंट और स्टील की आपूर्ति के 97 मामलों में ₹ 21.16 करोड़ के टीईडी की स्वीकृति प्रदान की। ये आपूर्तिकर्ता मान्य निर्यात लाभ के योग्य नहीं थे, इसलिए अदा की गई राशि की वसूली की गई।

3.64 डीजीएफटी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2013) कि आरएज़ वसूली प्रक्रिया आरंभ कर चुके हैं, फिर भी ऐसे वसूली ज्ञापन और पीआईसी के स्पष्टीकरणों के प्रति कई फर्मों ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में अपील की हैं।

3.65 लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा न तो लाभार्थियों से राशि वसूलने की समय सीमा तय की गई थी न ही एफटीडी एंड आर अधिनियम के अनुसार उन्हें कारण बताओं ज्ञापन जारी करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया।

टीईडी का प्रतिदाय वहां जहां शुल्क का भार ईपीसीजी/अग्रिम लाईसैंस धारकों को दिया जाता है

3.66 एफटीपी के पैराग्राफ 8.2(सी) के नियमों में ईपीसीजी प्राधिकार के प्रति आपूर्ति को मान्य निर्यात समझा जाएगा। जिसके लिए टीईडी/शुल्क फिरती की अग्रिम प्राधिकार/प्रतिपूर्ति उपलब्ध है, इसके अतिरिक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11 बी दर्शाती है कि प्रतिदाय केवल उसी निर्धारिती को दिया जाएगा जिसने अपने माल के क्रेताओं पर शुल्क भार नहीं डाला हो; अन्यथा, प्रतिदाय शुल्क संस्वीकृत कर लिया जाएगा और "उपभोक्ता कल्याण कोष" में जमा करा दिया जाएगा।

3.67 चार आरएज़[18] द्वारा स्वीकृत ₹ 4.36 करोड़ के 26 टीईडी प्रतिदायों में, आपूर्तिकर्ताओं ने उन आपूर्तियों पर टीईडी दावा किया (ईपीसीजी/अग्रिम प्राधिकार के प्रति) जिनके लिए आपूर्तिकर्ताओं ने लाइसेंस धारकों से उत्पाद शुल्क (बीआरसीज़ के अनुसार) इकट्ठा किया था और इस प्रकार शुल्क का भार आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वहन नहीं किया गया परन्तु क्रेताओं पर डाल दिया गया था। पूर्वोक्त प्रावधानों के अनुसार, स्वीकृत राशि का भुगतान माल के आपूर्तिकर्ता को करने के बजाय उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कर दिया जाना था।

3.68 डीओसी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2013) कि वे मामले की जांच करेंगे। डीजीएफटी ने अपने जवाब में कहा (फरवरी 2013) कि मान्य निर्यात लाभ वास्तव में अदा किये गये शुल्क के आधार पर दिया जाता है। सरकार प्रतिदाय का भुगतान केवल एक बार करती है। इसलिए, इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने मूल्य निर्धारण में शुल्क भाग जोड़ा है या नहीं। अतः संशोधन आवश्यक नहीं समझा जाता। सुविधा के दृष्टिकोण से यह निर्णय आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता को करना है कि प्रतिदाय का दावा कौन करेगा।

3.69 तथ्य यही है कि इन मामलों में मान्य निर्यात का लाभ माल के आपूर्तिकर्ता को दे दिया गया जबकि शुल्क का भार माल के क्रेताओं पर डाल दिया गया जिसके परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ प्राप्त हुए जिसने आगे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11बी तथा एचबीपी/एफटीपी के मौजूदा प्रावधानों के बीच अंतर का संकेत दिया।

---

[18] अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा

सिफारिश 5: डीओसी एफटीपी में प्रावधान करने पर विचार करे कि दावेदार द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि उसके द्वारा दूसरों पर शुल्क का भार नहीं डाला गया है।

'रेलवे वैगनों' की आपूर्ति पर टीईडी की अनियमित मंजूरी

3.70 दिनांक 19 दिसम्बर 2008 के डीजीएफटी नीति परिपत्र ने स्पष्ट किया कि रेलवे वैगनों की आपूर्ति की अनुमति ईपीसीजी योजना के अंतर्गत नहीं है और इसलिए ऐसे वैगनों की आपूर्ति पर टीईडी प्रतिदाय एफटीपी के पैराग्राफ 8.2 (सी) के अंतर्गत नहीं है। इसके अतिरिक्त, सेनवैट क्रेडिट नियम 2004 के अंतर्गत परिभाषित पूंजीगत माल में " रेलवे वैगन " शामिल नहीं हैं और इसलिए इनको पूंजीगत माल नहीं माना जा सकता।

3.71 पीआईसी ने 4 सितंबर 2009 को दिनांक 19 दिसंबर 2008 के परिपत्र के प्रावधान में इसे पहले से लागू करने की छूट दी और ऐसे टीईडी प्रतिदाय को मंजूरी दे दी जहां रेलवे वैगनों की आपूर्ति 19 दिसंबर 2008 से पहले शुरू हो चुकी थी।

3.72 आरए, कोलकाता तथा हैदराबाद ने जून 2007 और मार्च 2011 के बीच ईपीसीजी प्राधिकारों के प्रति रेलवे वैगनों की आपूर्ति हेतु ईपीसीजी प्राधिकार धारकों या उनके स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं को ₹ 135.33 करोड़ के टीईडी प्रतिदाय को मंजूरी दी। ये प्राधिकार स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं से की गई अधिप्राप्ति हेतु अमान्य थे। ये वैगन, वैगन निवेश योजना (डब्ल्यूआईएस), वैगन पट्टा योजना (डब्ल्यूएलएस), आदि के अंतर्गत भारतीय रेलवे को पट्टे पर दिये गये थे।

3.73 चूंकि 19 दिसंबर 2008 के परिपत्र में दोहराई गई परिभाषा के अनुसार पूंजीगत माल में 'रेलवे वैगनों' की पुष्टि नहीं होती, अतः आरए, कोलकाता और हैदराबाद द्वारा क्रमशः ₹ 135.34 करोड़ का टीईडी प्रतिदाय सही नहीं था। पीआईसी द्वारा दी गई छूट न तो इस परिपत्र के अनुरूप थी, ना ही सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के अंतर्गत दिये गये पूंजीगत माल की परिभाषा से इसकी पुष्टि हो रही थी।

3.74 *डीजीएफटी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2013) कि भुगतान पीआरसी के निर्णयानुसार किये गये थे और पीआरसी की सिफारिशों को ध्यान में रखने के बाद एफटीपी के पैराग्राफ 2.5 के अंतर्गत छूट देने का अधिकार डीजीएफटी में निहित है।* डीजीएफटी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पीआईसी का निर्णय पूंजीगत माल की परिभाषा के साथ साथ दिनांक 19 दिसंबर 2008 के उनके अपने परिपत्र के अनुरूप नही है।

ईओयूज़ को की गई आपूर्तियों के संबंध में टीईडी का अनियमित प्रतिदाय

3.75 एफटीपी के पैराग्राफ 8.2 (बी) में निबंधित है कि ईओयूज़ को की गई माल की आपूर्ति को मान्य निर्यात के रूप में माना जाएगा और पैराग्राफ 8.3 (ए) से (सी) में उल्लिखित लाभ उन्हें दिए जायेगें बशर्ते कि दावा एचबीपी में दी गई प्रक्रियाओं के अनुसार किया गया हो। दिनांक 25 फरवरी 2009 का सीमा शुल्क परिपत्र अनुबंधित

करता है कि दिनांक 31 मार्च 2003 के केंद्रीय उत्पाद शुल्क की अधिसूचना के साथ पठित एचबीपी के पैराग्राफ 6.6.1 में विनिर्दिष्ट माल को सीटी-3 फॉर्म (उत्पाद शुल्क योग्य माल को हटाने हेतु प्रमाण पत्र) के प्रति शुल्क अदायगी के बिना प्राप्त करने हेतु अनुमति दी जाती है। इस प्रकार, सीटी-3 फॉर्मों के प्रति ईओयूज़ को की गई आपूर्तियों पर कोई उत्पाद शुल्क अदा नहीं किया जाना है।

3.76 आरए हैदराबाद में यह पाया गया कि 20 दावों के संबंध में आपूर्ति सीटी-3 फॉर्मों के प्रति की गई थी और ₹ 1.56 करोड़ की टीईडी का प्रतिदाय हुआ था। जैसा कि प्रथम दृष्टया उत्पाद शुल्क के भुगतान की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आपूर्तियाँ सीटी-3 के प्रति थी, इसलिए टीईडी का प्रतिदाय सही नहीं था। इसके अलावा, यह देखा गया कि ईओयू ने अपने क्रय आदेश में यह उल्लेख किया था कि शुल्क का भुगतान नहीं किया जाना था क्योंकि आपूर्तियाँ सीटी-3 के प्रति थी। आपूर्तिकर्ताओं ने अपने बिक्री बीजकों में शुल्क भाग को जोड़ा और फिर इसको काट लिया तथा ईओयू इकाई ने केवल बीजक मूल्य का भुगतान किया; शुल्क भाग का नहीं। यह भी देखा गया कि सभी भुगतान सेनवैट खातों से किए गए और बाद में टीईडी का प्रतिदाय नकद किया गया। इस प्रकार, इकाई अपना सेनवैट खाता भुना रही थी जबकि शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी।

3.77 *डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2013) में बताया कि आपूर्तिकर्ता द्वारा सीटी-3 की छूट का उपयोग करते हुए शुल्क का भुगतान किया गया और इस प्रकार टीईडी का प्रतिदाय सही किया गया थी। डीजीएफटी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आपूर्तिकर्ता को नए सिरे से शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा अपने सेनवैट खाते को भुनाने के बारे में डीजीएफटी के उत्तर में कुछ नहीं कहा गया था।*

गलत दर लगाने के कारण ड्राबैक/टीईडी का अधिक भुगतान

3.78 कोच्ची, बैंगलुरू, चंडीगढ़, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, मुम्बई, नई दिल्ली और विशाखापटनम के आरएज के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि गलत दर लगाने के कारण 41 मामलों में ₹ 17.61 करोड़ राशि के डीबीके/टीईडी का भुगतान किया गया।

3.79 *डीजीएफटी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2013) कि कोच्ची, कोलकाता, जयपुर चंडीगढ़ और नई दिल्ली के आरएज़ ने वसूली प्रक्रिया आरंभ कर दी है। आरए, विशाखापटनम और बैंगलुरू पहले ही राशि की वसूली कर चुके हैं।*

उत्पाद शुल्क सहित बीजकों पर अदा की गई टीईडी

3.80 दिनांक 25 सितंबर 2006 को हुई अपनी बैठक में शिकायत समिति ने निर्णय लिया कि टीईडी का प्रतिदाय उन मामलों में मान्य नहीं है जहां बीजक में उत्पाद शुल्क शामिल है। हैदराबाद, मुम्बई, पुदुच्चेरी, कोलकाता और पुणे के आरएज के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 20 मामलों में उत्पाद शुल्क सहित बीजकों के प्रति ₹ 6.07 करोड़ की टीईडी का प्रतिदाय मंजूर किया गया था।

3.81 *डीजीएफटी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2013) कि मामला यह नहीं है कि बीजक में उत्पाद शुल्क शामिल है या नहीं, अपितु मुख्य बिन्दु यह है कि उत्पाद शुल्क का भुगतान हुआ है या नहीं।* डीजीएफटी का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 1944 की धारा 11 बी में अनुबन्धित हैं कि निर्धारिती को प्रतिदाय की मंजूरी केवल तभी होगी अगर उसने अपने माल के क्रेता को भारित शुल्क आगे न दिया हो, अन्यथा देय प्रतिदाय को संस्वीकृत किया जाएगा और 'उपभोक्ता कल्याण कोष' में जमा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, डीजीएफटी का उत्तर 25 सितम्बर 2006 की शिकायत समिति के निर्णय के अनुरूप भी नहीं था।

आपूर्ति किए गए माल के ईपीसीजी के विवरण के बिना बीजक

3.82 एचबीपी के पैराग्राफ 5.5 के अनुसार एक ईपीसीजी प्राधिकार धारक जो स्वदेशी पूँजीगत माल प्राप्त करना चाहता है, पूजीगत माल के स्त्रोत व्यक्ति के नाम व पते के साथ साथ, प्रत्यक्ष आयात या एआरओ जारी करने के लिए ईपीसीजी प्राधिकार को अवैध करवाने के लिए आरए को निवेदन करेगा।

3.83 आरए, हैदराबाद के टीईडी दावों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि पाँच दावों के संदर्भ में ₹ 2.38 करोड़ के पूर्ण टीईडी प्रतिदाय किए गए हाँलाकि कुल 132 बीजको में से 14 बीजक ईपीसीजी के विवरण के अनुसार सही नहीं थे जिसके फलस्वरूप ₹ 14.22 लाख के टीईडी का अनियमित प्रतिदाय हुआ। आपूर्ति बीजको पर ईपीसीजी विवरणों के पूर्ण समर्थन की कमी से नकली/फर्जी दावों से इन्कार नहीं किया जा सकता क्योंकि दावे बीजको की प्रतियो पर भी किए जा सकते थे और इसीलिए अन्य दावों में एक से अधिक बार उपयोग भी किया जा सकता था। इसी प्रकार, आरए विशाखापट्टनम ने ₹ 0.57 लाख के प्रतिदाय किए जिसमें वास्तविक लाईसेंस बिलों में पृष्ठांकित ईपीसीजी लाइसेंस संख्या से मेल नहीं खाता था जिसके आधार पर दावे किए गए थे। इसके अलावा, बिलों में पृष्ठांकित ईपीसीजी लाइसेंस डीजीएफटी विशाखापट्टनम से संबंधित नहीं थे और इसीलिए मंजूरी सही नहीं है। *डीजीएफटी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2013) कि आरए विशाखापट्टनम ने वसूली कर ली है तथा आरए हैदराबाद ने वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं।*

अवैधीकरण में माल की आपूर्ति का उल्लेख न करना

3.84 हैदराबाद, लुधियाना तथा विशाखापट्टनम के आरएज ने 22 टीईडी दावों के संदर्भ में ₹ 86.58 लाख का प्रतिदाय दिया हालांकि उस अवैधीकरण के साथ आपूर्ति किए गए मद के विवरण का मिलान नहीं हो रहा था। इसे बताए जाने पर *आरएज हैदराबाद तथा विशाखापट्टनम ने उत्तर दिया कि मामलों की पुनः जाँच की जाएगी तथा उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी। आरए लुधियाना ने कहा कि संबंधित ईपीसीजी प्राधिकार को वापिस मंगवाया जा रहा है और पार्टी को परामर्श दिया गया है कि वो आपूर्ति मद के आईटीसी कोड़ को बीजक में दिए गए वर्गीकरण विवरणों अनुसार ठीक करवाएं।*

डीलरों से खरीदे गए एचएसडी पर टीईडी/डीबीके का गलत प्रतिदाय

3.85 एफटीपी का पैरा 6.11 (सी) (iii), घरेलू तेल कम्पनियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के घरेलू तेल के डिपो से प्राप्त ईंधन पर अदा किए गए शुल्क की प्रतिपूर्ति समय-समय पर डीजीएफटी द्वारा बताई गई फिरती दर के अनुसार स्वीकार करता है। वित्त अधिनियम के तहत ईंधन पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क पर प्रतिपूर्ति भी स्वीकार्य होगी।

3.86 आरए मुम्बई ने नवम्बर 2009 में डीबीके के ₹ 7.20 करोड़ के तीन प्रतिदाय दावे संस्वीकृत किये। दावों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि माल में डीलरों से प्राप्त एचएसडी शामिल था। क्योंकि केवल डिपों/कम्पनियों से सीधे प्राप्त किया गया एचएसडी मान्य निर्यात लाभ योग्य था, डीलरों से प्राप्त एचएसडी पर ₹ 1.60 करोड़ का शुल्क प्रतिदाय योग्य नहीं था। इसके अलावा, दावों की फाइलों में यह देखा गया कि उनमे केवल बीजकों के विवरण थे। बीजकों की समर्थन प्रतियों की अनुपस्थिति में ₹ 7.20 करोड़ के प्रतिदाय दावों की मंजूरी का औचित्य सुनिश्चित नहीं हो सका। *डीजीएफटी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2013) कि आरए मुम्बई ने फर्म को एससीएन जारी किया है। फर्म ने मुम्बई माननीय उच्च न्यायालय मुम्बई के सम्मुख प्रार्थना याचिका दायर की थी।*

3.87 आरए कोलकाता और डीसी-एफएसईज़ेड, फाल्टा ने ₹12.15 करोड़ के टीईडी प्रतिदाय के 34 मामले (आरए कोलकाता द्वारा दो मामले और डीसी-एसईज़ेड द्वारा 32 मामले) संस्वीकृत किए, जहाँ दावेदारों ने अपने दावों के साथ आरटी12[19]/ईआर1[20] और मूल बीजक प्रस्तुत नही किए थे। इसलिए अपेक्षित दस्तावेजों के बिना टीईडी के प्रतिदाय की संस्वीकृती अनियमित थी और इस प्रकार वसूली योग्य थी। संबंधित आरए और डीसी-एसईज़ेड से उत्तर प्रतीक्षित हैं।

3.88 आरएज़ लुधियाना, चंडीगढ़, मुम्बई, पुणे, कोलकाता, नई दिल्ली, जयपुर, तथा डीसी-एसईजेड-फाल्टा और विशाखापट्टनम में ₹ 2.14 करोड़ के ड्राबैक/टीईडी के अनियमित भुगतान के 32 मामले देखे गए जैसाकि नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

तालिका 3: परिचालनात्मक खराबी के अन्य मामले

आरएज	विवरण	मामले	राशि लाख ₹	आरए का जवाब
लुधियाना	अध्याय शीर्ष के बिना बीजको पर टीईडी प्रतिदाय	2	4.40	अस्वीकृत
लुधियाना तथा चंडीगढ़	बीजकों के बिना टीईडी प्रतिदाय	4	10.40	स्वीकृत
मुम्बई	अधिक टीईडी प्रतिदाय	1	29.99	जवाब प्रतिक्षित

[19] केन्द्रीय उत्पाद नियमों के अन्तर्गत भरी गई रिटर्न

[20] माल के उत्पादन और उन्हे हटाने के लिए मासिक रिटर्न और सेनवैट क्रेडिट

आरएज	विवरण	मामले	राशि लाख ₹	आरए का जवाब
पुणे	ईपीसीजी प्राधिकार की प्रति उपलब्ध नहीं है।	1	9.02	स्वीकृत
कोलकाता	आपूर्त माल की जाच रिर्पोट के बिना डीबीके का भुगतान	8	73.02	जवाब प्रतिक्षित
एफएसईजेड, फाल्टा	गलत वर्गीकरण के कारण टीईडी का अधिक प्रतिदाय	1	6.12	जवाब प्रतिक्षित
नई दिल्ली	व्यापारियों/डीलरों के बीजकों पर टीईडी प्रतिदाय	8	73.30	जवाब प्रतिक्षित
जयपुर	निगरानी में असफलता के कारण अधिक भुगतान	1	1.65	स्वीकृत
एसईजेड-विशाखापट्टनम	मध्यवर्ती माल पर स्वीकृत डीबीके	1	3.17	स्वीकृत
एसईजेड-विशाखापट्टनम	भट्टी का तेल पर टीईडी	5	3.29	स्वीकृत

मान्य निर्यात योजना के कार्यान्वयन से पहले राजस्व प्रभाव का कोई मूल्याकंन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही करवाया गया था। योजना के परिणाम का मूल्याकंन भी उपलब्ध नही था।

योजना विकास तथा निगरानी

3.89 डीओसी के आरएफडी का एक मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ाने के लिए व्यापार वातावरण में सुधार के लिए व्यापार सरलीकरण उपाय लागू करना था। डीओसी ने एफटीपी के अन्तर्गत निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के परिणाम की संवीक्षा को प्राथमिकता नही दी। डीओसी के परिणाम बजट के अनुसार विभाग ने निर्यात सब्सिडी के लिए बजट व्यय के प्रति कोई मात्रात्मक वितरण निर्धारित नही किया था जिसमें मुख्यतः डीबीके, टीईडी के प्रतिदाय और केन्द्रीय बिक्री कर के कारण भुगतान सम्मिलित होते हैं। ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नही करवाया गया जो दर्शाता हो कि राजस्व प्रभाव के लिए योजना का मूल्याकंन उसके कार्यान्वयन से पहले किया गया था।

3.90 डीओसी की रणनीतिक योजना के पैराग्राफ 3.1 (XIII) के अनुसार डीओसी के आरएफडी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु डीजीएफटी, एफटीपी के तहत योजनाओं तथा विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं तथा सरकार एवं व्यापारिक समुदाय के बीच की मुख्य कडी है। तदनुसार विभिन्न निर्यात सवंर्धन योजनाओं की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए तथा इन्हें अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए पुनर्गठित किया जाना चाहिए। किन्तु डीओसी द्वारा योजना की समीक्षा नहीं की गई हैं, अतः उपलब्धियों के दावों की पुष्टि करना आवश्यक है।

3.91 *डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2013) कि उच्च स्तर अन्तर विभागीय समिति द्वारा योजना की व्यापक संवीक्षा की गई थी। योजना की संवीक्षा के लिए 2011 में एक और विभागीय समिति का गठन किया गया था। डीजीएफटी ने यह भी बताया (फरवरी 2013) कि मान्य निर्यात लाभ देश के अन्दर प्रभावित आपूर्तियों के*

लिए दिए जाते है और प्रत्यक्ष निर्यात के लिए नही। अतः इस प्रकार, मान्य निर्यात लाभ और निर्यात संवर्धन के बीच कोई संबंध नही है। इसके विपरित, मान्य निर्यात लाभ का परिणाम विदेशी मुद्रा की बचत है क्योंकि धरेलू उत्पादक विशिष्ट वर्गों के लिए आपूर्ति करने में सक्षम है। चूंकि धरेलू उत्पादको को शुल्क प्रतिदाय दिए जाते हैं, यह निश्चित रूप से घरेलू उद्योग को मजबूत और उनके करों को निष्प्रभावी करते हैं। मान्य निर्यात योजना के अन्तर्गत घरेलू उत्पादकों को वापिस किए गए वास्तविक शुल्क/करों को निष्प्रभावी की गई राशि, डीजीएफटी के पास उपलब्ध है।

3.92 डीजीएफटी का उत्तर भ्रामक है क्योंकि 1999 में गठित की गई समिति को मान्य निर्यात लाभ प्रदान करने की वास्तविक मंशा और औचित्य और लाभ लेने के लिए मानदण्ड इत्यादि देखना था और 2011 में गठित समिति को अभी अपनी सिफरिशे देनी थी, इसके साथ ही डीजीएफटी का उत्तर डीओसी की निष्पादन नीति और योजना को लागू करने से पहले प्रभाव के अनुसार एफटीपी योजनाओं के मूल्याकंन के परिणाम के मुद्दे से भी बचता है।

3.93 लेखापरीक्षा द्वारा मान्य निर्यात फिरती योजना की समीक्षा से पता चला कि योजना में कमियाँ हैं। इसके कार्यान्वयन की बारीक निगरानी करने तथा आन्तरिक नियत्रंण व्यवस्था और आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को सशक्त करने की आवश्यकता है।

सिफारिश सं 6: मान्य निर्यात योजना लागू करने से पूर्व, डीओसी को अपनी निष्पादन नीति के अनुसार, योजना की प्रभावोत्पादकता का नतीजा मूल्यांकन एवं आयात प्रतिस्थापन, करों को निष्प्रभावी करने तथा लाभर्थियों को उपार्जित वित्तीय लाभ क राजस्व आंकलन की जरूरत है।